

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

क्रमांक: E/BBR/Boys Hostel/13/20-21/10

दिनांक 19/01/21

निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

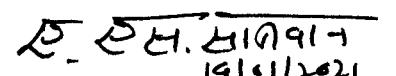
निम्नलिखित रखरखाव कार्य हेतु सुपात्र फर्म/ठेकेदारों से, जिन्हें समान प्रकृति के कार्य का अनुभव हो, सीलबंद दो- बोली (तकनीकी और वाणिज्यिक) निविदायें आमंत्रित हैं। :-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (सभी करों सहित अनुमानित)	ईएमडी (वापिसी योग्य)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	निविदा खोलने की तिथि और समय
एलएनआईपीई, ग्वालियर आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना कार्य।	रु. 7.50 लाख	रु. 22,500/- (कुलसचिव, एलएनआईपीई के पक्ष में ग्वालियर में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा)	दि. 16.02.2021 को सुबह 11:30 बजे तक	तकनीकी बोली : दि. 16.02.2021 को अपराह्न 12:00 बजे तक वाणिज्यिक बोली : बाद में घोषित की जाएगी। (केवल तकनीकी रूप से पात्र बोलीकर्ताओं की खोली जावेगी)

विस्तृत निविदा दस्तावेज एवं प्रपत्र संस्थान की वेब-साइट www.inipe.edu.in के अलावा सीपीपीपी पोर्टल, जो इस एनआईटी का अभिन्न अंग है, पर उपलब्ध हैं, जिसे प्रस्तुत करने हेतु डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निः शुल्क है।

योग्य इच्छुक फर्म/ठेकेदार, जो स्वयं को निविदा प्रपत्र में दी गयी पात्रता दशाओं के अनुरूप पात्र मानते हों, निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ अपनी निविदा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा या हाथोंहाथ इस प्रकार प्रस्तुत कर सकती हैं, कि वे उप कुलसचिव (संपदा), एलएनआईपीई, ग्वालियर के कार्यालय/ निविदा बॉक्स में दि. 16.02.2021 को सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जायें। निविदा प्रपत्र निशुल्क है।

अन्य विवरण, निबन्धन एवं शर्तों इत्यादि सहित निविदा दस्तावेज संस्थान को वेब-साइट www.inipe.edu.in एवं केन्द्रीय क्रय पोर्टल (सीपीपी) पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।


(प्रो. ए.एस. साजवान)
प्रभारी कुलसचिव

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई ग्वालियर में आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की
मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना कार्य।

निविदा दस्तावेज सह प्रपत्र

(ए) पात्रता मापदण्ड -

बोलीकर्ता एजेंसियों को पात्र घोषित होने के लिए संलग्नक 'ए' में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित / स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ तकनीकी बोली को प्रस्तुत करना आवश्यक है -

1. "रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई" के पक्ष में ग्वालियर में देय रुपये 22,500/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी.
2. बोलीकर्ता फर्म का नाम, पूरे पते, दूरभाष क्रमांक, ईमेल, वेबसाइट इत्यादि के साथ।
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या (पिछले तीन माह के जीएसटी रिटर्न की प्रति के साथ इसकी प्रति संलग्न करें)
4. स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रतिलिपि संलग्न करें)।
5. निविदाकार फर्म का पीडब्ल्यूडी अथवा सीपीडब्ल्यूडी में सिविल कार्य हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है।
6. दिनांक 31.03.2019 तक पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए (संलग्नक - सी में दिए गए प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार का प्रमाण पत्र" तथा आयकर रिटर्न के साथ इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रस्तुत करें)।
7. सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ शैक्षिक संस्थानों/ निजी संगठनों में पिछले 7 वर्षों (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्य, जैसे सिविल कार्य, को सफलतापूर्वक निम्नवत पूरा करने का अनुभव:-

समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।

अथवा

समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।

अथवा

समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।



[समान प्रकृति के केवल उपर्युक्त 3/2/1 कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें]

7. बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें);

8. इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, कि ;

(अ) बोलीकर्ता कंपनी अथवा फर्म के स्वामी/ फर्म/ भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(ब) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, आयकर जैसे वैधानिक देयों के भुगतान में चूक नहीं की है।

(स) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान/ निजी संगठन संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है;

(द) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता का कोई भी अनुबंध समाप्ति तिथि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।

(बी) मूल्य बोली -

1. मूल्य बोली केवल संलग्नक -'सी' में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियाँ को निर्धारित तिथि और समय पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना ऐसे बोलीकर्ताओं को अलग से दी जाएगी।
3. उद्धृत की गयी समस्त दरें सभी करें सहित होंगी। ठेके की अवधि के दौरान कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सी) निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया:

1. मुख्य निविदा लिफाफे में निम्नलिखित दो सीलबंद लिफाफे रखे होने चाहिए :-

लिफाफा क्रमांक 1 - संलग्नक 'ए' एवं 'बी' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में "तकनीकी बोली", एवं ईएमडी के रूप में मांग ड्राफ्ट अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

(लिफाफे पर "तकनीकी बोली एवं ईएमडी" लिखें);

लिफाफा क्रमांक 2 - संलग्नक 'सी' में दिए गए प्रारूप में "वित्तीय बोली"

(लिफाफे पर "वित्तीय बोली" लिखें) ;

2. मुख्य सीलबंद लिफाफे के ऊपर " एलएनआईपीई ग्वालियर में आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की

मरम्मत करना कार्य लिखा होना चाहिए। यह लिफाफा उप कुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे हुए निविदा बॉक्स में दि. 16.02.2021 को सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।

निविदा को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके ऊपर उपर्युक्त विषय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो तथा यह उप कुलसचिव (संपदा), एलएनआईपीई, रेसकोर्स रोड, शक्तिनगर, ग्वालियर 474002 (म.प्र.) के कार्यालय में दि. 16.02.2021 को सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त हुई निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।

3. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के सभी पृष्ठ विधिवत पृष्ठ-क्रमांकित होने चाहिए।
4. बोली के साथ प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
5. सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
6. संस्थान किसी भी समय तकनीकी बोली खोलने से पहले किसी भी कारणवश, निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है, जिसकी सूचना संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिसके लिए संभावित बोलीकर्ताओं को अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।
7. बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ पठनीय हों और स्पष्ट रूप से भरी गयी हों, तथा तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।
8. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर-राइटिंग या संशोधन या भरे हुए फॉर्म में काटछांट होने पर इसे सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।
9. बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसर का निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि बोली लगाने से पहले कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पूरी तरह से आंकलन कर सकें। बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रारूप में इसकी घोषणा करनी आवश्यक है।
10. बोलीकर्ता, बोली प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। यदि बोलीकर्ता इस निविदा प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट प्रक्रिया, धोखाधड़ी या अवांछनीय कार्य में संलग्न पाये जाते हैं, तो संस्थान निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
11. निविदाकारों की पात्रता का परीक्षण/ निर्धारण उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।
12. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बोलीकर्ता के लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।
13. संस्थान को बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिए किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति को देखने का अधिकार है।

(डी) अनुबंध की सामान्य शर्तें -

1. प्रश्नगत कार्य की अनुमानित माप महज एकदिग्दर्शिका के रूप में दी गयी है। इसलिए, अनुसूची में उल्लिखित मात्रा और सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, जिसे ठेकेदार को प्रस्तावित दरों में स्वीकार करना होगा। कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य की वास्तविक माप के अनुसार ही एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर भुगतान किया जाएगा।
2. ठेकेदार को कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर ही भुगतान किया जाएगा।
3. सामग्री का उपयोग करने से पहले, ठेकेदार को प्रभारी अभियंता/ संस्थान से स्वीकृति लेनी होगी और किसी भी परिवर्तन के लिए संस्थान से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. कार्यादेश प्राप्त होने की सूचना मिलने के बाद सफल बोलीकर्ता 07 दिनों के भीतर, रुपये 100/- का एक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्र प्रस्तुत करेगा और वर्तमान निविदा की शर्तों और दशाओं पर कार्य करने हेतु संस्थान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।
5. सफल बोलीकर्ता को कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर ऑनलाइन अथवा बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा के रूप में कुल अनुबंध मूल्य की 10% राशि निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो न्यूनतम छः माह तक वैध होनी चाहिए।
6. निविदा को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी को विमुक्त/वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदायों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निष्पादन सुरक्षा राशि को कार्य के संतोषजनक समापन पर वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदाय या रिफंड पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. बोलीकर्ताओं को मूल्य बोली के तहत निविदा दस्तावेज में दी गयी विभिन्न शर्तों और दशाओं को ध्यान में रखकर अपनी दरों को दर्शाना होगा, जिसमें सभी कर, उपयुक्त सामग्री, श्रम, मशीनरी, मशीनों के उपकरण, संयंत्र और सभी उपकरण, जो कार्य के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक हों, शामिल हैं। मूल्य बोली में उद्धृत दरों के अलावा संस्थान द्वारा कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. सभी आवश्यक श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और कार्यस्थल पर कोई अवयस्क तैनात नहीं किया जाएगा। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रमिक और इसी तरह के अन्य कार्मिक ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे, और ठेकेदार सभी कर्मियों को उसी तरह से देय और / या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसे वह अपने अन्य कर्मचारियों को प्रदान करता है। एलएनआईपीई इस मामले में किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा।
10. संस्थान का सक्षम प्राधिकारी निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और ठेकेदार उद्धृत दरों पर ही कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
11. निविदायें अपने खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु खुली रहेगी।

12. ठेकेदार को अनुबंध हस्ताक्षर की तिथि से 60 दिनों के भीतर कार्य को पूरा करना होगा और कार्य प्रारंभ करने के बारे में सूचना ठेकेदार द्वारा संस्थान को दी जाएगी।
13. कार्य में देरी होने पर @ रु. 500/- प्रति दिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा और इसे ठेकेदार के बिल से काटा जाएगा, जो कुल लागत का 5% से अधिक नहीं होगा। यदि प्रस्तावित कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे तत्काल कुलसचिव को सूचित किया जा सकता है और तदनुसार, यदि आवश्यक हुआ तो कार्य समय-अवधि में का विस्तार किया जाएगा।
14. यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और संस्थान की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।
15. किसी भी प्रकार की विघटित सामग्री सहित किसी भी अपशिष्ट/ मलवा को कार्य स्थल पर या संस्थान परिसर में नहीं छोड़ा जाएगा और ठेकेदार इसे अपनी लागत पर परिसर के बाहर करने और निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे।
16. कार्य के निष्पादन के दौरान संस्थान की संपत्ति को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि कार्यस्थल या उसके आसपास कोई क्षति हुई है, तो ठेकेदार को इसे अपने व्यय से ठीक करना होगा और इस हेतु उसे किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. ठेकेदार कार्यस्थल पर किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार ही बिल प्रस्तुत करेगा। इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त किसी भी कार्य को करने के पूर्व संस्थान की लिखित अनुमति लेनी होगी। ठेकेदार को किए गए कार्य का बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान किए गए संपूर्ण कार्य के बारे में संस्थान की संतुष्टि के आधार पर किया जाएगा।
18. ठेकेदार के बिल में से समय-समय पर लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियां की जाएंगी।
19. काली सूची में डाली गयी/ वर्जित एजेंसी/ फर्म/ व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. उप-ठेके की अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है, अथवा बीच में ही छोड़ देता है, अथवा संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप इसे पूरा करने में विफल रहता है, अथवा अनुबंध की किन्हीं शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तो जैसा भी मामला हो, संस्थान के पास बोली सुरक्षा जमा राशि और/ या निष्पादन सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। संस्थान को ठेकेदार को काली सूची में डालने का भी अधिकार होगा।
22. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कानून/ विनियमन आदि के लागू होने के कारण ठेकेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
23. सामग्री या इस अनुबंध के किसी भी तत्व पर लगने वाले सभी कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और संस्थान इस संबंध में किसी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार की दरें ऐसे सभी करों को भरने योग्य होनी चाहिए।



24. संस्थान इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों से आईटी अधिनियम एवं समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर ही आयकर और अन्य देय करों की कटौती करेगा।
25. उपकरण, मशीनरी या ठेकेदार कार्मिकों की प्रणाली को होने वाली किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे और ठेकेदार को अपनी लागत पर दुरुस्त करना होगा।
26. व्यक्तिगत कमरों में कार्य के दौरान दीवारों, फर्श, खिड़कियों आदि पर सफेद पुताई, रंगीन पुताई, चित्रकारी आदि के कारण बने छींटों और बौछारों को तत्काल साफ किया जाएगा और कार्य पूरा होने के साथ-साथ सतह को भी साफ करना होगा।
27. ठेकेदार श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
28. **अस्तरीय या बुरे काम के संबंध में कार्रवाई** - यदि यह प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य को असंगत, अपूर्ण या असभ्य कारीगरी के साथ निष्पादित किया गया है या ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी भी तरह की निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है तो प्रभारी अभियंता कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसे पुनः निष्पादित करा सकता है या इस कार्य को, जैसा भी मामला हो, हटा और बदल सकता है, जिसकी ऐसे मामलों में ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर कार्य कराना होगा।
29. कार्य प्रदान करने का मानदंड सामान्यतः बोलीकर्ता द्वारा समस्त सामग्रियों पर सबसे कम उद्धृत दरों के आधार पर होगा।
30. एजेंसी के अंतिम रूप से चयन के पूर्व संस्थान के पास उद्धृत दरों के औचित्य को पूछने का अधिकार है।
31. ठेकेदार को समय-समय पर संशोधित बिजली संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा और ठेकेदार अपनी ओर से लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा।
32. संस्थान और ठेकेदार के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में, इसे दोनों पक्षों के मध्य परस्पर चर्चा के द्वारा सुलझाया जाएगा। परस्पर चर्चाओं के माध्यम से विवाद के न सुलझ पाने की स्थिति में कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा और इस मामले को तथाकथित नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष रखा जाएगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।
33. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृति किया जा सकता है।
34. अनुबंध के कारण संस्थान और ठेकेदार के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई ग्वालियर में आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना कार्य।

तकनीकी बोली प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक हैं अथवा नहीं	यहां जानकारी दें	पेज क्रमांक पर प्रति संलग्न है
1	"रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई" के पक्ष में, ग्वालियर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रुपये 22,500/- की ई.एम.डी.	डी.डी. क्रमांक दिनांक. राशि बैंक शाखा		पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना है।
2	बोलीकर्ता का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट आदि	नहीं		लागू नहीं
3	बोलीकर्ता की स्थिति, यथा - पब्लिक लि./ प्राइवेट लि./ भागीदारी फर्म (निगमन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	जी हां		
4	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम पंजीकरण (पूर्ववर्ती तीन महीनों के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)	जी हाँ		
5	आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड प्रति संलग्न करें)	जी हाँ		
6	दि. 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% होना चाहिए (निविदा के संलग्नक - बी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों का लेखापरीक्षित लेखा विवरणी और आयकर रिटर्न संलग्न करें)	जी हाँ	<u>वित्तीय वर्ष</u> <u>कारोबार</u> (रु.) 2016-17 2017-18 2018-19	

7 (	सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ शैक्षिक संस्थानों/ निजी संगठनों में पिछले 7 वर्षों (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्य, जैसे सिविल कार्य, को सफलतापूर्वक निम्नवत पूरा करने का अनुभव:- समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो। अथवा समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो। अथवा समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो। [समान प्रकृति के केवल उपर्युक्त 3/2/1 कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें]	जी हाँ		
8	बोलीकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पिछले एक माह के विवरण के साथ बैंक खाते का विवरण दें)	जी हाँ	खाता क्रमांक खाते का प्रकार बैंक शाखा आई एफ एस सी	
9	रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र कि : (ए) बोलीकर्ता कंपनी के कर्ताधर्ता/ फर्म/ भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है; (बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ई.पी.एफ., ई.एस.आई.,जी.एस.टी., आयकर इत्यादि वैधानिक देयों के भुगतान में कोई उल्लंघन नहीं किया है। (सी) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ शासकीय शैक्षणिक	जी हाँ		

	संस्थानों/ निजी संगठनों द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है ; (डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोली कर्ता का कोई भी ठेका, पूर्णता अवधि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।			
12	वर्तमान बोली प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई प्रासंगिक सूचना, जो बोलीकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो			

शपथ पत्र

1. मैंने/ हमने निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है, और उसमें दी गयी शर्तों और दशाओं के अनुरूप अपनी सेवायें प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और हमें कार्य सौंपा जाता है, तो हम इसे स्वीकार करने और निविदा दस्तावेज में दी गयी समस्त शर्तों और दशाओं को पूरा करने का वचन देते हैं।
5. प्रारंभिक चरण पर सौंपे गए कार्य को स्वीकार करने में हमारे द्वारा किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, अथवा ठेका अवधि में ठेके को अपूर्ण छोड़ने अथवा किसी भी तरह से ठेके की दशाओं के उल्लंघन के मामले में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि हमारी ईएमडी और / अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
6. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
7. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक -

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

स्थान -

बोलीकर्ता का नाम, पता, दूरभाष एवं मुहर : _____

एलएनआईपीई ग्वालियर में आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना कार्य।

निविदा प्रस्तुत करने के लिए
(मूलप्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स का पिछले तीन वर्षों में कारोबार और अर्जित हानि/लाभ निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ/हानि
2018-19		
2017-18		
2016-17		

उपरोक्त जानकारी/ आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म की बैलेंस शीट और/ या आयकर रिटर्न से प्राप्त हुए हैं।

दिनांक :

स्थान :

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर

पंजीकरण संख्या

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस बात से अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से अनुबंध की अवधि के दौरान या किसी भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त हो जाएगी, साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर :

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित):

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

संलग्नक 'सी'
मूल्य बोली के लिए प्रपत्र

एलएनआईपीई ग्वालियर में आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना कार्य।

वित्तीय बोली प्रपत्र

स.क्र.	वार्षिक रखरखाव ठेका में सम्मिलित कार्य का विवरण	इकाई	दर	लगाई गयी कुल बोली राशि (अंकों में)	लगाई गयी कुल बोली राशि (शब्दों में)
1.	आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के प्रसाधनों की छतों की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग करना एवं छात्रावास के प्रसाधनों की मरम्मत करना। सर्वप्रथम छत की उखड़ी हुई एवं ढीली पुरानी सीमेंट कॉक्रीट को हटाना व मलबे को भवन से दूर फेंकना एवं प्रभारी के दिशानिर्देश अनुसार फेंकना। तत्पश्चात छत की सफाई कर उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट को सीमेंट में मिलाकर घोल तैयार कर छत के ऊपर डालना तथा उसके ऊपर 50 एमएम मोटी नई सीमेंट कॉक्रीट 1:2:4 (एक सीमेन्ट, दो रेता और चार गिट्टी 12 से 16 एमएम मोटी) के अनुपात में करना। तत्पश्चात वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट एवं सीमेंट (वाटर प्रूफिंग सोल्वेंट दो लीटर को 50 किग्रा सीमेंट) में मिलाकर नीट सीमेंट से घुटाई करना। उपरोक्त कार्य को प्रभारी के दिशानिर्देशानुसार किया जाना है।	वर्गफीट	5250		
2.	आजाद, प्रताप, शिवाजी, सुभाष छात्रावासों के कॉमन रूम की छत की मरम्मत कर वाटरप्रूफिंग कार्य (अ) सर्व प्रथम छत के क्रेकों को 'वी' शेप में झिरी बनाना 5एमएम×10एमएम (चौड़ाई × गहराई) काटना तत्पश्चात 'वी' शेप की वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट, हाडनर व सीमेन्ट से तैयार मटेरियल को भरना तथा फिनिश करना कार्य।	वर्गफीट	3280		

3.	छात्रावासों के प्रसाधनों के बाहर की ओर क्षतिग्रस्त पी-ट्रैप, टी-बैण्ड, एल्वो इत्यादि को निकालकर नई फिटिंग लगाना एवं सीमेंट कॉक्रीट से फिनिश करना कार्य तथा वेस्ट मटेरियल को छात्रावास से 50 मीटर दूरी पर फैकना या प्रभारी के दिशानिर्देशानुसार हटाया जाना।	नग	136		
4.	छात्रावास के प्रसाधनों के बाहर की ओर से चौक एवं क्षतिग्रस्त 4 इंची पीवीसी पाईपों को निकालकर नये 4 इंची पीवीसी पाईप फिटिंग सहित लगाना व सीमेंट कॉक्रीट 1:2:4 के अनुपात में फिनिश करना कार्य तथा वेस्ट मटेरियल को छात्रावास से 50 मीटर दूरी पर फैकना या प्रभारी के दिशानिर्देशानुसार हटाया जाना।	फीट	1120		
5.	क्षतिग्रस्त व मरम्मत के स्थानों पर पुट्टी कर पुताई करना कार्य।	वर्गमीटर	50		
	कुल योग				

उपर्युक्त उद्धृत दरें कार्य-स्थल पर समस्त करें सहित हैं, और इन उद्धृत दरों के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं है।

शपथ पत्र

1. मैंने/ हमने निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है, और उसमें दी गयी शर्तों और दशाओं के अनुरूप अपनी सेवायें प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और हमें कार्य सौंपा जाता है, तो हम इसे स्वीकार करने और निविदा दस्तावेज में दी गयी समस्त शर्तों और दशाओं को पूरा करने का वचन देते हैं।
5. प्रारंभिक चरण पर सौंपे गए कार्य को स्वीकार करने में हमारे द्वारा किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, अथवा ठेका अवधि में ठेके को अपूर्ण छोड़ने अथवा किसी भी तरह से ठेके की दशाओं के उल्लंघन के मामले में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि हमारी ईएमडी और / अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।

6. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
7. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक -

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

स्थान -

बोलीकर्ता का नाम, पता, दूरभाष (मुहर सहित) : _____